राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– पीसीपीएनडीटी सैल/2012/199 दिनांकः– 15/02/12

परिपत्र क्रमांक – 15/2012

पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के अन्तर्गत प्रकरणों से संबंधित अनुसंधान कार्य, निस्तारण, अभियोजन प्रकिया तथा स्थायी अभिलेख संधारण के क्रम में दिशा–निर्देश

1. राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि, गर्भधारण–पूर्व और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (इसके पश्चात अधिनियम सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत निरीक्षणों एवं शिकायतों से संबंधित जांच/अनुसंधान किया जाकर, वर्तमान में जिलों के द्वारा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की प्रकिया को प्रभावी बनाने के लिये अनुसंधान से ठोस साक्ष्यों के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण, अभियोजन प्रकिया तथा स्थायी अभिलेख संधारण के क्रम में दिशा–निर्देश प्रदान किया जाना समीचीन है।
2. यह भी ध्यान में लाया गया है कि "अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों में अनुसंधान के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन (नतीजा) दिया जाने एवं स्थायी अभिलेख संधारित किया जाने के संबंध में जिला स्तर पर समुचित अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। जिलों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही सूचना के अनुसार अन्तिम नतीजे में प्रकरण से संबंधित पूर्ण विवरण सहित दस्तावेज संलग्न नहीं करके, मात्र यह सूचना निदेशालय को प्रेषित की जा रही है कि इस प्रकरण में क्लोजर रिपोर्ट प्रदान की जा चुकी है एवं जिलो के द्वारा यह सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है कि उनके पास अधिनियम के अन्तर्गत कितने प्रकरण अन्वेक्षणाधीन है एवं उनके क्या कारण है"।
3. जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह भी पाया गया है कि समुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्यवाही किये जाने के पश्चात संबंधित केन्द्र की पंजीयन पत्रावली एवं केन्द्र से सीज किये गये दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जाकर, मात्र निरीक्षण के समय मौके पर पाये गये उल्लंघन के परिपेक्ष्य में अपूर्ण अनुसंधान के आधार पर ही परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है।
4. यहाँ यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन है कि इस अधिनियम का उल्लघंन किया जाना संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनीय अपराध है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में अपराध घटित होने से संबंधित साक्ष्य की अस्पष्टता होने पर उन तथ्यों के बारे में अनुसंधान किया जाना समुचित प्राधिकारी का दायित्व है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि अधिनियमों के प्रावधानो के अनुरूप निरीक्षण में पायी गयी कमियों/उल्लघंन का पूर्ण विवरण वह उपलब्ध दस्तावेज पर अंकित करे तत्पश्चात अनुसंधान के दौरान पंजीयन पत्रावली एवं सीज किये गये तथा समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये उपलब्ध रिकार्ड से समग्र साक्ष्य

संकलन कर, अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में नतीजा प्रदान करें। निरीक्षण के समय तैयार किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की सूचना की कमी अथवा अपूर्णता पाये जाने पर अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलन से पूर्णता प्राप्त की जाकर, उल्लघंन पाये जाने पर न्यायालय में ठोस साक्ष्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावें ताकि प्रकरण में सफलता प्राप्त की जा सके।

5. समुचित प्राधिकारी के द्वारा प्रशासनिक रूप से अपने वरिष्ठतम सक्षम प्राधिकारी से प्रकरण के अंतिम नतीजे का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने स्तर पर ही संबंधित पंजीकृत केन्द्र को निरीक्षण के दौरान सीज किये अभिलेख को लौटा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप अनुसंधान के नतीजे बाबत तर्कसंगत तथ्यों की जानकारी पर्यवेक्षणीय सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त नहीं होने से प्रकरणों के नतीजे पर समुचित पर्यवेक्षण रखा जाना संभव नहीं हो रहा है।

6. राज्य सरकार के द्वारा प्रकोष्ठ में विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी) की नियुक्ति की जाने के पश्चात सभी प्रकरणों में विधिक सलाह के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किये जाने के दिशानिर्देश अलग से परिपत्र जारी किया जाकर प्रदान किये जा रहे है इसी संदर्भ में प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर नतीजा प्रदान किये जाने एवं प्रकरणों के अंतिम नतीजे के प्रारूप ''अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट'' को निर्धारित किया जाकर, उसी के अनुरूप जिलों से प्रत्येक प्रकरण में सूचना प्राप्त करते हुये प्रकरणों का तर्कसंगत निस्तारण करने के लिये राज्य स्तर से पर्यवेक्षण रखा जाना समीचीन है।

7. राज्य में अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधान कार्य पूर्ण किया जाकर, प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण में अनुसंधान पश्चात उल्लंघन पाये जाने पर ठोस साक्ष्यों सहित परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किये जावें एवं विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण रखा जाकर, प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिये राज्य सरकार के द्वारा एत्द से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

   1. अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण अभिलेख का परीक्षण कर अनुसंधान पूर्ण किया जावे एवं परिशिष्ठ ''अ'' के प्रारूप में नतीजा प्रदान कर विधिक सलाह एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
   2. अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये सभी प्रकरणों के नतीजे की ''अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट'' संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' के प्रारूप में संलग्न दस्तावेजों सहित राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाकर, अभिलेख का समुचित संधारण किया जावे।
   3. अधिनियम के अन्तर्गत अब तक अन्तिम नतीजे दिये गये प्रकरण जिनमें परिवाद प्रस्तुत किये गये प्रकरण तथा कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्व (फाईल) किये गये प्रकरण की अलग–अलग कमानुसार सूची बनाई जाकर, संबंधित

दस्तावेजों / प्रस्तुत परिवाद की प्रतियां सहित राज्य प्रकोष्ट को सूचना प्रेषित करते हुये स्थायी अभिलेख का संधारण ज़िला एवं राज्य स्तर पर किया जावे।

4. निरीक्षण के दौरान सीज किये अभिलेख को समुचित प्राधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर नहीं लौटाया जावे एवं प्रकरण के नतीजे की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अभिलेख की आवश्यकता नहीं होने पर ही केन्द्र को अभिलेख लौटाया जावें।

5. परिपत्र क्रमांक 10/2010 के द्वारा प्रकरणों को अन्वेक्षणाधीन रखने से संबंधित दिये गये सामान्य दिशानिर्देशों की पालना की जाकर, प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट के साथ लंबित प्रकरणों की कारण सहित सूची राज्य प्रकोष्ठ में प्रेषित की जावें।

6. जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में विभाग द्वारा पंजीबद्ध कराये गये प्रत्येक प्रकरण (पुलिस प्रथम सूचना सहित) की पत्रावली स्थायी रूप से संधारित की जावे एवं पत्रावली की एक प्रति राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में संधारित की जावें। न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में प्रत्येक दिनांक की प्रगति रिपोर्ट जिला नोडल अधिकारी के द्वारा जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी के मार्फत प्राप्त की जाकर, प्रगति बाबत राज्य प्रकोष्ठ को भी नियमित रूप से अवगत करायें ताकि राज्य स्तर से अभियोजन प्रकिया पर पर्यवेक्षण किया जा सके।

8. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, समस्त समुचित प्राधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना की जाकर इस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(बी. एन. शर्मा आई.ए.एस.)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।

(5)

3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
4. श्री बी.के. गुप्ता, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, उपविधि परामर्शी (वाद) विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. डॉ0 (श्रीमती) परम नवदीपसिंह, विधायक, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान जयपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (आरसीएच) राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एंव जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
10. उपनिदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं समुचित प्राधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
13. विशिष्ठ लोक अभियोजक (पीसीपीएनडीटी), राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ राजस्थान।
14. विधि विशेषज्ञ/स्वास्थ्य प्रबंधक/अपराध शाखा, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ट, राजस्थान जयपुर।
15. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
16. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर।

विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र क्रमांक — 15/2012

अंतिम प्रतिवेदन/रिपोर्ट

1. पी.आई.आर. नं0.....निरीक्षण दिनांक.....
2. निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद नाम:.....
3. अन्य निरीक्षण सदस्यों का विवरण नाम व पद नाम सहित:.....
4. केन्द्र का नाम व पता:.....
5. केन्द्र संचालक का नाम :.....
6. निरीक्षण के दौरान केन्द्र में सोनोग्राफी हेतु कार्यरत चिकित्सक का नाम:.....
7. निरीक्षण के समय केन्द्र पर पाये गये उल्लंघन/कमियों का विवरण:.....
   1.....
   2.....
   3.....
   4.....
   5.....
8. निरीक्षण के दौरान जब्त दस्तावेजों एवं उपकरण का विवरण:–

क्र. सं.	जब्त दस्तावेजों का विवरण	सीज/सील उपकरण का विवरण	सील उपकरण किस व्यक्ति की अभिरक्षा में है (नाम व पता)	सील उपकरण मालखाने में रखा गया है तो क्या मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है ? विवरण एवं समर्थित दस्तावेज संलग्न करें।
1.				

(6)

9. पंजीयन मूल पत्रावली के अनुसार केन्द्र संचालक का नाम एवं पंजीयन के समय केन्द्र में सोनोग्राफी हेतु कार्यरत चिकित्सक का नाम तत्पश्चात नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का विवरण (सलंग्न दस्तावेज) .....

.....

.....

10. जब्त रिकार्ड का परीक्षण एवं केन्द्र द्वारा नियम 9 के अन्तर्गत पालना की संपूर्ण रिपोर्ट का परीक्षण एवं विस्तृत विवरण (संलग्न दस्तावेज).....

.....

.....

.....

नोट :–रिकार्ड से तात्पर्य है कि रिकार्ड अन्तर्गत धारा 29 सपठित नियम 9 (एफ–फार्म, सोनोग्राफी रजिस्टर, रेफरल स्लिप, इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड आदि)

11. अनुसंधान का विस्तृत विवरण (अनुसंधान प्रारम्भ से समाप्त होने तक, समर्थित दस्तावेज संलग्न करते हुये):.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. विनियमन कार्यवाही का विस्तृत विवरण (केन्द्र का पंजीयन निलम्बन/निरस्तीकरण एवं सोनोग्राफी मशीन का मेक मोडल का विवरण के साथ सील व सीजर /सील मुक्त की वस्तुस्थिति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है (संलग्न दस्तावेज):–.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. अंतिम रिपोर्ट का प्रकारः (अपराध बनना पाया गया तो किस व्यक्ति के विरूद्ध किन धाराओं /नियमों का उल्लघंन पाया गया है, अपराध अन्तर्गत धारा का विस्तृत विवरण तथ्यों सहित/ अपराध नहीं बनना पाया जाता है तो विस्तृत विवरण कारण सहित) (संलग्न दस्तावेज) .....

.....

.....

.....

नोटः–

1. अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट के साथ सूची गवाहान एवं सूची दस्तावेज संलग्न किये जावें।
2. अनुसंधान समाप्ति पर अपराध नहीं बनने पर यह माना जायेगा कि उक्त केन्द्र में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के सभी प्रावधानों व नियमों का पालन किया जा रहा है।

अंतिम रिपोर्ट देने की दिनांकः–

संबंधित समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पद नाम की मोहर